न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 56/19 दायरा दिनांक 24.07.2019

आर.सी.एम.एस. :– 2019/00060

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

ध्यानसिंह पुत्र ज़वानसिंह जाति भील निवासी भीलों के टापरे मामोनी तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक,बारां – रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

निर्णय दिनांक 26.09.2019

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत सहायक वन संरक्षक, बारां के प्रकरण संख्या 166/17 निर्णय दिनांक 05.10.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम रातातात की आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 10 बीघा किस्म वनभूमि पर अतिक्रमी मानकर 1000 रूपये जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिये हैं तथा पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 15 दिन की सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है ।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व धारणा बनाकर अपीलांट को दोषी न होते हुए भी अतिक्रमी मानकर व सजायाब करके भारी भूल व न्याय का हनन किया है तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया व कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है , न ही उक्त आराजी का मौका निरीक्षण किया गया है और न ही कोई स्वतंत्र गवाही ली गई है । वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) दिनांक 31.12.07 से लागू हो गए है एवं इनके निर्मित नियम की अधिसूचना दिनांक 1.1.08 को जारी हो चुके हैं उक्त अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का जिस भूमि पर दिनांक 13.12.05 से पूर्व का कब्जा है उनके कब्जे की भूमि को नियमन किए जाने का प्रावधान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया जिसमें पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलीनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है एवं स्वतंत्र गवाहों के बयान भी संलग्न नहीं हैं ।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली, शास्ति एवं फसल जब्ती के दण्ड को यथावत रखते हुये सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि न्यायालय के निर्णय से 15 दिन की अवधि में उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में वह और उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा । नियत अवधि में उक्त आशय का शपथ पत्र पेश नहीं करने की स्थिति में सिविल कारावास की सजा संबंधी आदेश यथावत रहेगा । निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.10.01 13:49:12 IST
Reason: SelfAttested